[2010] 9 एस. सी. आर. 526

अमर सिंह

बनाम

राजस्थान राज्य

(2004 का आपराधिक अपील सं. 854 आदि)

अगस्त 3,2010

[आर. एम. लोधा और ए. के. पटनायक, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 304 बी-दहेज मृत्यु-अभिनिर्धारितः धारा 304 बी के तहत एक अपराध बनता है, यदि महिला की मृत्यु से पहले, उसके साथ दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो-केवल दहेज की मांग धारा 304 बी के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती-तथ्य यह है कि, अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह साबित किया है कि मृतका-पत्नी को उसकी मृत्यु से दो माह पहले, अपीलार्थी-पति द्वारा स्कूटर/नकदी की मांग के लिये प्रताड़ित किया गया था-अभियोजन पक्ष ने धारा 113 बी की उपधारणा लिये जाने बाबत पर्याप्त साक्ष्य पेश की गई की पति ने मृतका की दहेज मृत्यु कारित की है-पति ने इस उपधारणा का खंडन नहीं किया-उसे नीचे की अदालतों द्वारा सही तरीके से दोषी ठहराया गया था-हालाँकि, उसकी आजीवन कारावास की सजा को दस साल के

कारावास तक कम किया गया क्योंकि मृतका की मृत्यु कारित करने में उसकी वास्तविक भूमिका होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं थी-बहनोई और सास का संबंध अभियोजन पक्ष के गवाह उनके द्वारा मृतका को दी गई यातना और उत्पीड़न बाबत सटीक कार्य नहीं बता सके-उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को सही तौर पर अपास्त किया-साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 32, 113 बी-महिलाओं के खिलाफ अपराध-दहेज मृत्यु-सजा/सजा सुनाना।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 32-मृत्युकालिक कथन-दहेज मृत्यु-पति द्वारा की गई दहेज की माँग के संबंध में मृतका द्वारा अपनी माँ और भाई को कई बार दिए गए बताया गया-धारा 32 के तहत स्वीकार्यता-अभिनिर्धारितः कथन "परिस्थितियों जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई" धारा 32(1) के अर्थ के अधीन थे और स्वीकार्य हैं-दंड संहिता, 1860-धारा 304 बी।

अभियोजन पक्ष का मामला था कि मृतका का विवाह अपीलार्थी-अभियुक्त से हुआ था। वह, शादी के दस महीनों के भीतर अपने ससुराल में, असामान्य परिस्थितियों में, मृत पाई गई। अपीलार्थी के चाचा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मृतका, जब वह पानी गर्म कर रही थी, आग की लपटों में घिर गयी और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतका के पिता ने इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कि मृतका को, उसके ससुराल

वालों द्वारा दहेज की मांग के लेकर, परेशान और अपमानित किया गया था; और यह जानकारी प्राप्त करते ही कि वह एक दुर्घटना का शिकार हो गई, वह मौके पर पहुंचे और मृतका का शव जली हुई हालत में पाया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और मृतका की सास और बहनोई को भा०द०स० की धारा 498ए और 304बी के तहत दोषी पाया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की। हालाँकि इसने सास और बहनोई को बरी कर दिया। अपीलार्थी-पति द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील पेश की गई। राज्य ने भी सास और बहनोई को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पेश की।

अभियुक्त की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए और राज्य की अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय नेः

अभिनिर्धारित कियाः

1.1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, उनकी मृत्यु के कारण के बारे में, या किसी सम्व्यवहार की परिस्थितियों के बारे में जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, जिन मामलों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, वे स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। इस मामले में, मृतका की मृत्यु का कारण तय करने के लिए एक प्रश्न था और पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 से पहले अपीलार्थी-अभियुक्त स्कूटर या 25,000/- रूपये की

मांग के संबंध में मृतका की मृत्यु से कुछ महीने पहले उसे अक्सर ताना मारने बाबत मृतका द्वारा दिया गया बयान "सम्व्यवहार की परिस्थितियां जिनके परिमाणस्वरूप उसकी मृत्यु" धारा 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिधी के अधीन आता है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम था कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले मृतका अपीलार्थी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में दिये गये तानों के अधीन थी। [पेरा 11,13] [536-एफ-जी; 537-एफ-जी]

1.2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में यह प्रावधित किया गया है कि जब यह प्रश्न हो कि किसी व्यक्ति ने एक महिला की दहेज हत्या कारित की हो और यह दर्शित किया गया हो कि उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व ऐसी महिला को, दहेज के लिए, या दहेज किसी भी मांग के संबंध में, क्रूरता या उत्पीड़न करने के, ऐसे व्यक्ति द्वारा, अधीन किया गया हो, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में न्यायालय के समक्ष यह उपधारणा करने के लिए कि अपीलार्थी ने मृतका की दहेज मृत्यु कारित की थी, पर्याप्त साक्ष्य पेश की है और इसलिए, अपीलार्थी को इस धारणा का खंडन करना था।[पैरा 14] [538-बी-डी]

रतन सिंह बनाम एच. पी. राज्य (1997) 4 एस. सी. सी. 161; शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116;

पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट एआईआर 1939 पी. सी. 47; पवन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1998) 3 एससीसी 309-पर भरोसा किया।

विश्वजीत हलदर उर्फ बाबू हलदर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2008) 1 एस. सी. सी. 202; दुर्गा प्रसाद और अन्य बनाम एम. पी. राज्य 2010 (6) स्केल 18; लाटू महतो और अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड) (2008) 8 एससीसी 395; श्रीमती शांति और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1991) 1 एससीसी 371-संदर्भित किया गया।

1.3. अपीलार्थी का बयान धारा 313 द०प्र०स० के तहत दर्ज किया गया था। पीडब्ल्यू-4 का साक्ष्य था कि शादी के बाद मृतका कई बार अपने घर आयी और अंत में उसकी मृत्यु से पहले उसके घर आयी और कहा कि ससुराल वालों ने एक स्कूटर की मांग की और अपीलार्थी ने कहा कि वह एक गरीब परिवार से आई थी, अपीलार्थी के ध्यान में लाया गया लेकिन वह उसने सामान्यतः उससे इनकार किया। अपीलार्थी ने धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दहेज हत्या के मामले की उपधारणा का खंडन करने के लिए किसी भी बचाव पक्ष के गवाह की साक्ष्य नहीं करवाने का फैसला किया। इस प्रकार विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कि अपीलार्थी भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपराध का दोषी था। [पैरा 15] [538-ई-जी]

1.4. भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपराध के लिए, विचारण न्यायालय ने अधिकतम दंड उम्रकैद की सजा, यह कहते हुए कि अपीलार्थी ने नव-विवाहिता दुल्हन के साथ दहेज के लालच की संतुष्टी के लिए क्रुरता और उत्पीडन कर बलिदान किया है और इस कारण वह किसी दया का पात्र नहीं है और उसके द्वारा कारित किये गये अपराध की प्रकृति और उसके कृत्य को देखते हुए उसे अधिकतम दंड आजीवन कारावास का पात्र मानते हुए, सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर अधिरोपित भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत दोषसिद्धि व आजीवन कारावास के दण्ड को बहाल रखा। तथ्य यह रहा कि अपीलार्थी पर धारा 302 भा०द०स० के तहत हत्या के अपराध का आरोप नहीं था, संभवतः क्योंकि अनुसंधान के दौरान, अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 302 भा०द०स० के अपराध को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। चूँकि मृतका की मृत्यु में अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का कोई सबूत नहीं था, इसलिए न्याय की प्राप्ति के लिए दस साल के कारावास की सजा पर्याप्त होगी।[पैरा 16-17] [538-G-H; 539-A-E]

श्रीमती शांति और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1991) 1 एस. सी. सी. 371 पर भरोसा किया।

2. एक अभियोजन पक्ष का गवाह जिसने केवल "परेशान" या "प्रताड़ित" शब्द का उपयोग किया और आरोपी के सटीक आचरण का

वर्णन नहीं किया, जो, उसके अनुसार, परेशान करने या प्रताडित करने की श्रेणी में आने के संबंध में भा०द०स० की धारा 498 ए और 304 बी के तहत मामलों में न्यायालय विश्वास नहीं कर सकता। पीडब्ल्यू-2 (मृतका के पिता) ने अपनी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में यह नहीं बताया कि बहनोई और सास ने, किसी भी तरह से, मृतका के साथ किसी भी प्रकार से उत्पीडन अथवा क्रुरता की हो। पीडब्ल्यू-4(मृतका की माता) ने यह कथन किया है कि मृतका अक्सर उसकी सास द्वारा स्कूटर की मांग करने और उसकी सास द्वारा उत्पीड़न करने की शिकायत करती थी, लेकिन पीडब्ल्यू-4 ने यह नहीं बताया कि सास का ऐसा सटीक कार्य क्या था जिसके द्वारा मृतका को उत्पीड़न महसूस हुआ। इसी प्रकार पीडब्ल्यू-5 ने सास और अन्य ससुराल वालो के वास्तविक आचरण के बारे में कथन नहीं किया जिससे मृतका ने यातना और ताना महसूस किया। उच्च न्यायालय ने सही तौर पर यह दृष्टीकोण लिया कि बहनोई और सास के खिलाफ आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया और उनका मामला अपीलार्थी से अलग था। [पैरा 5] [आपराधिक अपील सं० 2010 का 1411] [541-ए-एफ]

कंस राज बनाम पंजाब और अन्य राज्य (2000) 5 एससीसी 207- पर भरोसा किया।

निर्णय विधि संदर्भः

2004 की आपराधिक अपील संख्या 854

(2008) 1 एससीसी 202 भरोसा किया पैरा 3

2010 (6) स्केल 18 भरोसा किया पैरा 3

(1997) 4 एससीसी 161 भरोसा किया पैरा 4, 12

(2008) 8 एस. सी. सी. 395 भरोसा किया पैरा 5

(1998) 3 एस. सी. सी. 309 भरोसा किया पैरा 7, 13

(1984) 4 एससीसी 116 भरोसा किया पैरा 8, 12

ए. आई. आर. 1939 पी. सी. 47 भरोसा किया पैरा 12

(1991) 1 एससीसी 371 संदर्भित किया पैरा 17

आपराधिक अपील सं० 1411/2010

(2000) 5 एससीसी 207 भरोसा किया पैरा 6

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 854/2004.

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर की डी. बी. द्वारा आपराधिक सं. 816/1998 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 07.10.2003 से।

के साथ

सीआरएल. ए. सं० 1411/2010

डॉ. मनीष सिंघवी, एडिशनल एड. जनरल, नीलम शर्मा, उमा दत्ता, किशन दत्ता, देवांशु कु० देवेश, मिलिंद कुमार उपस्थित पक्ष के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

ए. के. पटनायक, जे.

आपराधिक आवेदन संख्या 854/2004

1. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा 1998 की डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 816 में तारीख 07.10.2003 वाले फैसले के खिलाफ है।

2. बहुत संक्षेप में तथ्य यह है कि 05.05.1992 संतोष(मृतका) की शादी अपीलार्थी से हुई थी और 08.03.1993 को वह अपने ससुराल में मृत पाई गई। उसी दिन अपीलार्थी के चाचा गंगा सहाय सैनी द्वारा अलवर में पुलिस थाना शिवाजी पार्क में पुलिस के पास एक लिखित रिपोर्ट, यह कहते हुए कि जब मृतका पानी उबाल रही थी वह आग की लपटों में घिर गई और उसकी मौत हो गई, दर्ज करवाई गई थी। उसी दिन मृतका के पिता बाबूलाल द्वारा पुलिस में एक और लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किया जाता था तथा अपमानित किया जाता था तथा यह सूचना मिलने पर कि उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है, वह मौके पर पहुंचा और संतोष का शव जली हुई हालत में

पाया। बाबू लाल द्वारा दी गई ऐसी सूचना के आधार पर, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता(संक्षिप्त में 'भा०द०स०') की धारा 498ए और 304बी के तहत अपराध के लिये 1993 की एफ़. आई. आर सं.53 दर्ज की। अनुसंधान किया गया और अपीलकर्ता, जगदीश (अपीलकर्ता का छोटा भाई), श्रीमती गोरधनी (अपीलकर्ता की मां), खेम चंद (अपीलकर्ता की बहन के पति), गायत्री देवी (खेम चंद की पत्नी) और गिरधारी लाल (खेम चंद के पिता) के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, अलवर की न्यायालय में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया। यह मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, अलवर द्वारा 1998 के सत्र मामले संख्या 32 के रूप में विचारण किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भा०द०स० की धारा 147, 304बी और 498ए के तहत आरोप तय किए। विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों को परिक्षित करवाया और 31 दस्तावेज़ प्रदर्शित करवाये। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'द०प्र०स०') के तहत अभियुक्त के बयान के बाद, किसी भी बचाव गवाह को परिक्षित नहीं करवाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता, जगदीश और गोरधनी को भा०द०स० की धारा 498ए और 304बी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और धारा 498ए भा०द०स० के अपराध के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, व्यतिक्रम की दशा में तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद

भुगतनी होगी और धारा 304 बी भा०द०स० के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा और 5,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया, व्यतिक्रम की दशा में छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास दिया गया। अपील ने, उच्च न्यायालय ने जगदीश और गोरधनी को बरी कर दिया, लेकिन भा०द०स० की धारा 498 ए और 304 बी के तहत अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री तारा चंद्र शर्मा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता पहले ही धारा 498 ए भा०द०स० के तहत सजा काट चुका है और इसलिए, इस अपील में उसकी चुनौती धारा 304 बी भा०द०स० के तहत दोषसिद्धि और सजा तक ही सीमित है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपराध का मुख्य घटक यह है कि मृतका को किसी भी "दहेज की मांग" के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा होगा और इस मामले में अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा मृतका के साथ दहेज की किसी मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने विश्वजीत हलदर उर्फ बाबू हलदर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2008)1 एससीसी 202] और दुर्गा प्रसाद और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2010(6) स्केल 18] मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। उन्होंने पीडब्ल्यू-2 (मृतका के पिता), पीडब्ल्यू-4 (मृतका की मां) और पीडब्ल्यू-5 (मृतका का भाई)

के साक्ष्य का हवाला यह दिखाने के लिए दिया कि अपीलकर्ता द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और अपीलकर्ता को एक दुकान शुरू करने के लिए केवल 10,000/- रुपये चाहिए थे और 10,000/- रुपये की राशि के इस अनुरोध को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता है।

4. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तव में, दहेज की मांग के संबंध में पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 की गवाही में सारवान विरोधाभास थे और इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में दहेज की मांग और उत्पीड़न या क्रूरता के संबंध में मृतका द्वारा उन्हें जो कुछ भी बताया गया था, उस पर पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 के साक्ष्य सुनी सुनाई बात के सबसे अच्छे साक्ष्य थे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 के तहत या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के तहत ग्राह्य नहीं थे। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने रतन सिंह बनाम एच.पी. राज्य [(1997) 4 एससीसी 161] का हवाला दिया।

5. उन्होंने अंततः यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने द०प्र०स० की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का बयान दर्ज करते समय अपीलकर्ता को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने लाटू

महतो और अन्य बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड) [(2008) 8 एससीसी 395] पर भरोसा करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों के बारे में अभियुक्त से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था, उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील श्री शर्मा के अनुसार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपराध स्थापित करने में सक्षम है और इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

6. राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने जवाब में तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले के तथ्य यह दर्शाते हैं कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि मृतका 100% जल गयी थी। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि डॉ. महेंद्र कु. गुप्ता (पीडब्ल्यू-9), जिन्होंने शव परीक्षण किया, ने कहा कि मृतका पर जलने के निशान, गला घोंटने के बाद थे, क्योंकि स्वरयंत्र और श्वासनली में फ्रैक्चर थे और स्वरयंत्र अवरुद्ध पाया गया था। उन्होंने कहा कि मृतका की शादी 05.05.1992 को हुई और शादी के दस महीने के भीतर 08.03.1993 को उसकी मृत्यु हो गई और यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि अपीलकर्ता और उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया था।

7. उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 के साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि दहेज में स्कूटर या 25,000 रुपये की मांग की गई थी। उन्होंने यह दिखाने के लिए पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 के साक्ष्यों का हवाला दिया कि अपीलकर्ता मृतका को यह कहकर ताना मारता था कि वह एक भूखे घर से आई है और अपीलकर्ता स्वयं पीडब्ल्यू-4 के घर गया था और 10,000/- रुपये की राशि की मांग की थी। उन्होंने जोर देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह न केवल अपीलकर्ता बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में मृतका को लगातार परेशान करने का एक स्पष्ट मामला है। उन्होंने पवन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य [(1998) 3 एससीसी 309] का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दहेज न लाने पर दुल्हन को इस तरह ताने मारना और चिढ़ाना धारा 304 बी भा०द०स० के अर्थ में उत्पीड़न या क्रूरता की श्रेणी में आता है।

8. श्री शर्मा की दलील के जवाब में कि मृतका द्वारा पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 के समक्ष दिए गए उत्पीड़न और दहेज की मांग के संबंध में बयान, साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 या धारा 32 के तहत ग्राह्य नहीं थे, उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 4 एससीसी 116] में इस न्यायालय ने माना है कि धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम सुनी सुनाई बात की साक्ष्य के नियम का अपवाद है और मरने वाले व्यक्ति के बयान को ग्राह्य बनाता है,

बशर्ते कि बयान मौत के कारण से संबंधित हो या मौत की वजह बनने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करता हो। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में मृतका द्वारा पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 को दिए गए बयान उसकी मृत्यु के कारण, अर्थात् दहेज की मांग से संबंधित हैं, और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत ग्राह्य होगा, भले ही मृतका बयान देते समय मृत्यु की उम्मीद नहीं कर रही हो। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने दृढ़ता से स्थापित किया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था और इसलिए न्यायालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत यह उपधारणा करनी होगी कि अपीलकर्ता ने दहेज हत्या कारित की है और इस उपधारणा का अपीलकर्ता ने कोई साक्ष्य पेश कर खंडन नहीं किया है।

9. डॉ. सिंघवी ने अंततः यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष थे कि मृतका की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी और गला घोंटने के बाद उसे जला दिया गया था ताकि दुर्घटना और जलने का मामला बनाया जा सके। मृतका के शव पर 100% जलने के निशान पाए गए, यह एक भयानक हत्या का मामला था और इसलिए यह उपयुक्त मामला नहीं है

जिसमें यह न्यायालय या तो अपीलकर्ता की सजा को रद्द कर दे या उच्च न्यायालय द्वारा उस पर लगाई गई सजा को कम कर दे।

10. हम पाते हैं कि पीडब्लू-4 (मृतका की मां) का साक्ष्य यह है कि शादी के बाद, मृतका कई बार आई और वह अपनी मृत्यु से लगभग एक महीने पहले भी आई थी और वह स्कूटर की मांग और उसकी सास गोरधनी के द्वारा उत्पीड़न के बारे में शिकायत करती थी और उसने यह भी बताया था कि अपीलकर्ता उसे ताना मारता था कि वह भूखे घर से आई है और कुछ नहीं लाई है और पिछली बार जब वह आई थी तो दो दिन रुककर वापस लौट गई थी। इसके एक महीने बाद उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा ही साक्ष्य पीडब्लू-5 (मृतका का भाई) का भी है कि जब भी मृतका घर आती थी, वह शिकायत करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे तंग करते थे और उसने यह भी कहा था कि वे एक स्कूटर या दुकान के लिए 25,000/- रुपये की मांग करते थे और अपनी मृत्यु से एक महीने पहले वह घर आई थी और शिकायत की थी कि उसकी सास और अन्य सभी ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और ताना मारते थे कि वह कुछ नहीं लाती थी और अपीलकर्ता भी उसे ताने मारता था। इस प्रकार पीडब्लू-4 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है, जैसा कि पीडब्लू-5 के साक्ष्य से पुष्टि होती है, कि मृतका ने उनके सामने बयान दिया है कि उसके ससुराल वाले और साथ ही अपीलकर्ता स्कूटर या 25,000/- रुपये की एक दुकान के लिए मांग कर रहे थे और उसकी मृत्यु से पहले कुछ महीनों के भीतर दहेज की

मांग पूरी न करने पर उसे ताना और चिढ़ाना शुरू कर दिया गया था। मृतका द्वारा दिए गए बयानों के संबंध में पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 के ऐसे साक्ष्य निस्संदेह सुनी सुनाई बात हैं, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) के तहत ग्राह्य हैं।

11. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का खंड (1) यह कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया कथन जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे मामलों में जिनमें व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। वर्तमान मामले में मृतका की मौत का कारण प्रश्नगत था और पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 द्वारा दिए गए बयान कि अपीलार्थी, मृतका की मृत्यु से कुछ महीने पहले, स्कूटर ओर रुपये 25000/- की मांग को लेकर तंज कसता था, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अर्थ यह कि "उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया कथन जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई" के अंतर्गत आता है।

12. पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट [ए आई आर 1939 पी सी 47] लॉर्ड एटकिन ने कहा कि संव्यवहार की जिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप घोषणाकर्ता की मृत्यु हुई, वे स्वीकार्य होंगी यदि ऐसी परिस्थितियों का वास्तविक घटना से कोई निकटतम संबंध हो। लॉर्ड

एटकिन द्वारा निर्धारित परीक्षण को शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रा) में फजल अली, जे. के फैसले में उद्धृत किया गया है और हिज लॉर्डशिप ने माना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य के नियम का अपवाद है और विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय समाज में अन्याय से बचने का दायरा व्यापक हो गया है। लॉर्डशिप ने माना है कि जहां मुख्य साक्ष्य में मृतका द्वारा लिखे गए बयान और पत्र शामिल हैं जो सीधे तौर पर उसकी मृत्यु से जुड़े हैं या उससे संबंधित हैं और जो एक कहानी बताती हैं, उक्त बयान स्पष्ट रूप से धारा 32 के दायरे में आएंगे और, इसलिए, स्वीकार्य है और ऐसे मामलों में अकेले समय की दूरी बयानों को अप्रासंगिक नहीं बनाएगी। अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून में अंतर को रतन सिंह बनाम एच.पी. राज्य (सुप्रा) में दोहराया गया है और इसमें यह माना गया है कि भले ही मृतका को मृत्यु की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसका बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत स्वीकार्य हो जाएगा, हालांकि मृत्युपूर्व घोषणा के रूप में नहीं होगा, बशर्ते कि यह इस उप-धारा में निर्धारित दो शर्तों में से एक को पूरा करती हो। अतः श्री शर्मा का यह तर्क कि मृतका द्वारा उनके समक्ष दिए गए बयानों के संबंध में पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 के साक्ष्य सुनी सुनाई बात है, गलत है, स्वीकार्य नहीं हैं।

13. इसलिए, अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने में सक्षम हुआ है कि मृत्यु से ठीक पहले, अपीलकर्ता द्वारा मृतका को दहेज की मांग के संबंध में

ताना मारा गया था। इस न्यायालय ने पवन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) मामले में कहा है कि एक लड़की शादी के बंधन में बंधते समय आशा और आकांक्षा के साथ आने वाले अच्छे दिनों के सपने देखती है, और अगर अगले ही दिन से पति उसे दहेज न लाने के लिए ताना देना शुरू कर दे, और उसे बदसूरत कहना, किसी भी दुल्हन के लिए इससे बड़ी मानसिक यातना, उत्पीड़न या क्रूरता नहीं हो सकती है और पति द्वारा ताने देने की ऐसी हरकतें भा०द०स० की धारा 498 ए और धारा 304 बी दोनों के अर्थ में क्रूरता मानी जाएंगी।

14. एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित हो जाता है कि अपीलकर्ता ने मृतका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न या क्रूरता का शिकार बनाया था, तो अदालत को यह मानना होगा कि अपीलकर्ता ने भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपराध किया है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी से स्पष्ट होगा जिसमें कहा गया है कि जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उस महिला के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रूरता की गई है या दहेज की किसी भी मांग के लिए उत्पीड़न या उसके संबंध में, अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या कारित की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने यह अनुमान लगाने के लिए अदालत के समक्ष पर्याप्त

सबूत पेश किए थे कि अपीलकर्ता ने मृतका की दहेज हत्या की थी और इसलिए, अपीलकर्ता को इस धारणा का खंडन करना था।

15. हालाँकि, श्री शर्मा ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से समझाने के लिए ऐसे अवसर नहीं दिए गए थे। लेकिन धारा 313 द०प्र०स० के तहत दर्ज अपीलकर्ता के बयान से हमें पता चलता है कि पीडब्लू-4 के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका शादी के बाद कई बार उसके घर आयी थी और आखिरी बार उसकी मृत्यु से पहले उसके घर आयी थी और कहा था कि गिरधारी और खेम चंद ने एक स्कूटर की मांग की थी और अपीलकर्ता ने कहा कि वह एक गरीब परिवार से आती है, इसे अपीलकर्ता के ध्यान में लाया गया लेकिन अपीलकर्ता ने इससे साधारण रूप से इन्कार कर दिया था। अपीलकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उसके खिलाफ दहेज हत्या की उपधारणा का खंडन करने के लिए किसी भी बचाव गवाह को परीक्षित नहीं करने का भी फैसला किया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि अपीलकर्ता भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपराध का दोषी था।

16. भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपराध के लिए, विचारण न्यायालय ने अधिकतम आजीवन कारावास की सजा देते हुए कहा कि

अपीलकर्ता ने अवैध रूप से दहेज के लिए अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए क्रूरता और कठोरता के साथ नवविवाहित दुल्हन की बलि दी है और इसलिए वह किसी भी दया का पात्र नहीं है। उसके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और उसके आचरण को देखते हुए, वह आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का हकदार है। उच्च न्यायालय ने केवल भा०द०स० की धारा 304 बी के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हालाँकि, डॉ. सिंघवी ने सुझाव दिया कि यह एक दुल्हन को जलाने से पहले उसका गला घोंटने का मामला था, और इस कारण से, उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की अधिकतम सज़ा बरकरार रखी।

17. तथ्य यह है कि अपीलकर्ता पर धारा 302 भा०द०स० के तहत हत्या के अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया गया था क्योंकि अनुसंधान के दौरान अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302 भा०द०स० के तहत अपराध स्थापित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। श्री शर्मा द्वारा उद्धृत एक मामले, श्रीमती शांति और अन्य बनाम हरियाणा राज्य [(1991) 1 एससीसी 371], में इस न्यायालय ने माना है कि जहां अभियुक्त द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका के बारे में कोई सबूत नहीं है, वहां न्यूनतम सात वर्ष की सजा दी जाएगी जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी। वर्तमान मामले में, चूंकि इसमें अपीलकर्ता द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका के

बारे में कोई सबूत नहीं है, मृतका की मृत्यु के मामले में दस साल की कैद की सजा न्याय के लिए पर्याप्त होगी।

18. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, और अपीलकर्ता पर भा०द०स० की धारा 304 के तहत लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को घटाकर दस साल कर दिया जाता है, और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को तद्नुसार संशोधित किया जाता है। यदि अपीलकर्ता ने दस साल की कारावास की अवधि काट ली है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

आपराधिक अपील संख्या 1411/2010

(एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 2004 की सं. 4389)

1. अनुमति दी गई।

2. यह, राजस्थान राज्य द्वारा 1998 के डी. बी. आपराधिक अपील सं. 816 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 07.10.2003 जिसके द्वारा जगदीश और गोरधनी को 498 ए और 304 बी भा०द०स० की धाराओं के तहत आरोपों से बरी किया गया, के खिलाफ दायर एक अपील है।

3. राजस्थान राज्य के विद्वान वकील डॉ. मनीष सिंघवी द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि हालांकि अमर सिंह, जगदीश और गोरधनी के खिलाफ रिकॉर्ड पर सबूत समान थे, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया

कि जगदीश और गोरधनी को फंसाया गया क्योंकि वे अमर सिंह के परिवार के सदस्य थे और उनके खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में ऐसा कोई भी कारण नहीं बताया है जिससे यह पता चले कि कैसे जगदीश और गोरधनी के मामले अमर सिंह के मामले से अलग थे। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय को जगदीश और गोरधनी को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को कायम रखना चाहिए था।

4. हम डॉ. सिंघवी की इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। पीडब्ल्यू-2, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5 के साक्ष्य से पता चलता है कि जगदीश और गोरधनी ने अमर सिंह के लिए स्कूटर या 25,000/- रुपये की दहेज की मांग में भूमिका निभाई, लेकिन दहेज की मांग अपने आप में भा०द०स० की धारा 498 ए या धारा 304 बी के तहत अपराध का मामला नहीं है। भा०द०स० की धारा 498 ए या धारा 304 बी के तहत पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला पर क्रूरता या उत्पीड़न का कार्य दंडनीय है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी से यह भी स्पष्ट होगा कि केवल तभी जब यह दिखाया जाए कि किसी महिला के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले किसी व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न किया गया है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने भा०द०स० की धारा 304 बी के अर्थ के तहत दहेज हत्या की है।

इसलिए, आरोपी द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में किसी महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न करने का कार्य अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय यह मान सके कि आरोपी ने दहेज हत्या कारित की है।

5. पीडब्ल्यू-2 (मृतका के पिता) ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में यह नहीं बताया है कि जगदीश और गोरधनी ने किसी भी तरह से मृतका को उत्पीड़न या क्रूरता का शिकार बनाया हो। हालांकि, पीडब्ल्यू-4 (मृतका की मां) ने यह कथन किया है कि मृतका, गिरधारी द्वारा स्कूटर की मांग और अपनी सास गोरधनी द्वारा उत्पीड़न के बारे में शिकायत करती थी, लेकिन पीडब्ल्यू-4 ने यह नहीं बताया है कि वास्तव में गोरधनी का कृत्य क्या था जिससे मृतका को प्रताड़ना महसूस हुई। पीडब्ल्यू-5 (मृतका का भाई) का साक्ष्य यह है कि जब भी मृतका घर आती थी तो शिकायत करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे और दुकान के लिए स्कूटर या 25,000/- रुपये की मांग कर रहे थे और जब मृतका अपनी मृत्यु के एक माह पूर्व घर आई थी तो उसने शिकायत की थी कि उसकी सास एवं अन्य सभी ससुराल वाले उसे अक्सर प्रताड़ित करते थे तथा कुछ भी नहीं लाने का ताना देते थे, परन्तु पीडब्ल्यू-5 ने सास और अन्य ससुराल वालों के सटीक आचरण का वर्णन नहीं किया है, जिसके कारण मृतका को प्रताड़ित और ताना महसूस होता था। दूसरी ओर, पीडब्ल्यू-4 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि अमर सिंह उसे ताना मारते थे कि वह

भूखे घर से आई है। इस प्रकार, अमर सिंह के मामले में उसके सटीक आचरण के बारे में सबूत थे जिससे मृतका को उत्पीड़न हुआ, लेकिन जगदीश और गोरधनी के मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं था। अभियोजन पक्ष का एक गवाह जो केवल "उत्पीड़ित" या "प्रताड़ित" शब्द का उपयोग करता है और अभियुक्त के सटीक आचरण का वर्णन नहीं करता है, जो उसके अनुसार, उत्पीड़न या यातना के बराबर है, धारा 498 ए और 304 बी भा०द०स० के तहत मामलों में न्यायालय द्वारा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस कारण से, उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि जगदीश और गोरधनी के खिलाफ आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं किए गए हैं और उनका मामला अमर सिंह के मामले से अलग है और ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश और गोरधनी को फंसाया गया है क्योंकि वे अमर सिंह के परिवार के सदस्य थे।

6. कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य [(2000) 5 एससीसी 207] में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि ऐसे मामलों में जहां दहेज हत्या के आरोप लगाए गए हैं, पति के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार प्रत्यक्ष कृत्यों को साबित करना आवश्यक है। उचित संदेह से परे और केवल अनुमानों और निहितार्थों द्वारा ऐसे संबंधों को दहेज हत्या से संबंधित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि दहेज हत्या के मामलों में मृत पत्नियों के ससुराल वालों के सभी संबंधों को शामिल करने की प्रवृत्ति विकसित हुई

है, जिसे यदि हतोत्साहित नहीं किया गया, तो अभियोजन के मामले को, यहां तक कि असली दोषियों के खिलाफ भी, प्रभावित करने की संभावना है।

7. इसलिए, हमें डॉ. सिंघवी के इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि उच्च न्यायालय को जगदीश और गोरधनी की सजा बरकरार रखनी चाहिए थी और हम तद्नुसार इस अपील को खारिज करते हैं।

डी.जी.अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अशोक कुमार टाक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।